आय–व्ययक महत्वपूर्ण

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल रेज़ीडेन्सी क्षेत्र जयपुर

क्रमांकः–एफ 3 (2) ( )बजट/सान्याअवि/2019–20 / 329। जयपुर, दिनांकः 14-5-20

बजट परिपत्र
(For Other than Schemes BFC)

विषयः– आगामी वर्ष 2021–22 के लिए आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए संशोधित बजट अनुमानों के प्रस्ताव बाबत्।

संदर्भः– वित्त (आय –व्ययक अनुभाग) विभाग का परिपत्र प.4(196) वित्त–1(1)आय. व्यय/2020,जयपुर दिनांक 08.9.2020 के कम में।

आगामी वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए क्रमशः आय व्ययक अनुमान (B.E.) एवं संशोधित अनुमान (R.E.) वित्त (बजट) विभाग को प्रस्तुत किए जाने हैं।

आय व्ययक अनुमान तैयार करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश उपरोक्त संदर्भित परिपत्र में वर्णित हैं। जिनका सावधानी पूर्वक पठन आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर लिया जावे तथा व्यय के अनुमान तैयार करते समय कोविड–19 महामारी के कारण राज्य के वित्तीय संसाधनों पर पडने वाले असाधारण प्रभाव को ध्यान में रखते हुये राजकीय व्यय के विनियमन हेतु वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक प.9(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2020 दिनांक 03.09.20 द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों की अक्षरशःपालना सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है।

1. प्रपत्र 1 से 14 की पूर्ति तथा कार्यालयध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाकर जिला स्तर पर विस्तृत जांच एवं विचार विमर्श पश्चात मुख्यालय बजट अनुभाग में उपस्थित होकर जांच कराने के उपरान्त ही मुख्यालय पर ऑनलाईन किया जावेगा। **(कार्यक्रम की प्रति संलग्न है)**
2. निर्धारित दिनांक तक प्रस्ताव जांच कराकर प्रस्तुत नहीं करने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषीकर्मी के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्रस्ताव तैयार करते समय सभी बिन्दुओं पर गहनता से जांच कर ही प्रस्ताव मुख्यालय में प्रेषित किये जावें। लेखाकर्मी/विज्ञ कार्मिक को ही प्रस्ताव लेकर मुख्यालय भिजवाया जावे।

3. Other than schemes BFC के प्रस्तावों के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयध्यक्षों के प्रस्ताव निम्न बजट मदों मे सम्मलित किये जावेगें:–

   1. 2225–01–001–01–01 (राज्य निधि) निदेशालय स्तर का संस्थापन
   2. 2225–01–196–06–00(राज्य निधि) जिला स्तरीय का संस्थापन
   3. 2235–02–197–01–01(राज्य निधि) ब्लाक स्तरीय का संस्थापन
   4. 2059–80–053–22–00(राज्य निधि) लोक निर्माण कार्य

4. प्रस्तावों (BE व RE) के साथ Object Headwise तथ्यात्मक बजट नोट आवश्यकता के औचित्य की पुष्टि हेतु आवश्यक रूप से तैयार कर प्रस्तुत करें जिसमें आय–व्ययक अनुमान एवं संशोधित अनुमानों में राशि वृद्वि/कमी का औचित्य आवश्यक रूप से स्प्रष्ट होना चाहिए।

5. संवेतन मद के प्रस्ताव पूर्णतया सही तैयार किये जावे। संवेतन मद में गत वित्तीय वर्ष के कुल वास्तविक व्यय के साथ–साथ चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम चार माहों के कुल वास्तविक व्यय की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पूरे वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान तैयार किए जावेंगे। इसी प्रकार आगामी वर्ष के आय–व्ययक अनुमान प्रस्तावित किए जावे ।

6. संवेतन मद का विस्तृत विवरण यथा मूल वेतन + महंगाई भत्ता + मकान किराया + शहरी भत्ता + विशेष वेतन + अन्य भत्ते + बोनस सहित पूर्ण विवरण की तालिका बनानी होगी। चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के RE एवं आगामी वर्ष 2021–22 के BE के आंकडों से इसका मिलान आवश्यक रूप से कर लेवें।

7. बकाया दावों की पृथक् से सूची संलग्न करावें।

8. स्वीकृत/रिक्त पदों, 1 जनवरी 2004 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों, संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों से संबंधित सूचना प्रपत्र– 1 में प्रस्तुत की जानी है। **इसका सत्यापन/मिलान मुख्यालय की संस्थापन शाखा से करवाकर प्रमाणन उपरांत ही बजट अनुभाग में प्रस्तुत करें।**

9. अनावर्तक सामान (स्थायी प्रकृति का सामान) के प्रस्ताव नवीन आइटम्स के अन्तर्गत पूर्व में उपलब्ध सामान की स्थिति के साथ नवीन क्रय किए जाने वाले सामान का नाम, मात्रा, दर, कुल अनुमानित लागत एवं औचित्य सहित प्रस्ताव पहले ही भिजवा देवे ताकि बी.एफ.सी. से पूर्व प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाए जा सके।

10 सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रपत्र–10 में राजस्व प्राप्तियों के प्रस्ताव आवश्यक रूप से विस्तृत बजट नोट के साथ लाना सुनिश्चित करावें।

11. प्रपत्र संख्या 1 से 14 वित्त विभाग की वेबसाइट **finance.rajasthan.gov.in** से **Download** किये जावें।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन) मुख्यावास को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित कार्यक्रम अनुसार स्वीकृत/रिक्त/कार्यरत/अनुबंध पर भरे हुए पदों एवं अन्य संबंधित प्रपत्रों यथा वाहन, टेलीफोन, कम्प्यूटर इत्यादि से संबंधित सूचना एवं उसके प्रमाणन हेतु संबंधित कार्मिकों को निर्देशित करने का श्रम करावें तथा मुख्यालय की आई.डी. 4719 से सम्बंधित बजट प्रस्ताव (RE & BE) तथा प्रपत्र 1 से 4 तक की सूचना उपलब्ध करावे।
3. समस्त उप निदेशक/सहा0निदेशक, जिला परी0 एवं समाज कल्याण अधिकारी/बी0एस0एस0ओ।
4. **यह सुनिश्चित कर लेंवे कि संशोधित अनुमान एवं आगामी वर्ष के आय–व्ययक अनुमानों को IFMS पर ऑनलाइन नहीं करना है। भौतिक रूप में ही प्रस्तुत किया जाना है।**
5. **ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अपने–अपने कार्यालय के बजट प्रस्ताव (RE & BE) अपने अपने जिलाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करेगें। जिला कार्यालय द्वारा उन प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर अपने कार्यलय के प्रस्तावों के साथ–साथ मुख्यालय को BSSO कार्यालय के प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगें। BSSO कार्यालयों का सीधे मुख्यालय को प्रस्ताव नहीं भिजवाने है।**
6. संयुक्त निदेशक(आई.टी.) को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(आर.एल.परसोया)
वित्तीय सलाहकार

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर

बजट प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम

संशोधित अनुमान वर्ष 2020–21 एवं बजट अनुमान 2021–22

क्र. स.	कार्यालय का नाम	बजट प्रस्तुत करने की दिनांक
1	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि दौसा, टोंक, नागौर	23.09.2020
2	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि सीकर, झुंझुनूं, चुरू	24.09.2020
3	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, बीकानेर	25.09.2020
4	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि जोधपुर, जैसलमेर, बाडमेर	28.09.2020
5	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि जालौर, सिरोही, पाली	29.09.2020
6	उपनिदेशक, सान्याअवि, प्रतापगढ, उदयपुर, चित्तौडगढ	30.09.2020
7	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि डूंगरपुर, बांसवाडा, भीलवाडा	01.10.2020
8	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि अजमेर, सवाईगाधोपुर, करौली	05.10.2020
9	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि कोटा, बारां, झालावाड	06.10.2020
10	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि राजसमंद, भरतपुर, धौलपुर	07.10.2020
11	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि जयपुर शहर, अलवर	08.10.2020
12	उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि जयपुर ग्रामीण	09.10.2020
13	अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन) मुख्यावास, जयपुर	09.10.2020

14.9.2020
(आर.एल.परसोया)
वित्तीय सलाहकार

C:\Users\sjed\Desktop\Desktop Data\Desktop file all\Letter.doc